


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2015/श्रावण 22, 1937

No. 505]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2015 /SHRAVANA 22, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2015

सा.का.नि. 630(अ).—प्रशासनिक अधिकरण

अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 10 सितम्बर, 2015 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस दिन प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के प्रावधान, जहां तक इनका संबंध हरियाणा प्रशासनिक अधिकरण, हरियाणा राज्य से है, प्रभावी होंगे।

[फा. सं. ए-11014/5/2015-एटी]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2015

G.S.R. 630(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the Administrative Tribunal Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby appoints the 10th September, 2015 as the date on which the provisions of the Act, in so far as they relate to the Haryana Administrative Tribunal, State of Haryana shall come into force.

[F. No. A-11014/5/2015-AT]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.